झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 01 / स्था॰(कार्यक्षेत्र)—07—05 / 12........................रॉंची, दिनांक ..../

आदेश

जल संसाधन विभाग के औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी के अंतर्गत मोहम्मदगंज बराज एवं उससे निःसृत दोनों नहरों का कार्यक्षेत्र, कार्यहित में औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी से हटा कर जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन के प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण में देने का निर्णय लिया गया है।

1. इस निर्णय के आलोक में औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी के अधीन मोहम्मदगंज बराज एवं उससे निःसृत दोनों नहरों का कार्यभार तत्काल प्रभाव से जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन के अधीन हस्तांतरित किया जाता है।
2. उक्त के आलोक में औरंगाबाद निर्माण प्रमंडल, पांकी अविलम्ब संबंधित अभिलेख, इत्यादि जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन को हस्तांतरित कर दें।
3. आदेश का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कर अनुपालन भेजा ज़ाय।
4. इस प्रस्ताव पर महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त है।

ह॰/—

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :— 1724 रॉंची, दिनांक :— 19-3-13

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉंची / कोषागार पदाधिकारी, डालटेनगंज / प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रॉंची / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड रॉंची / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड रॉंची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड रॉंची / महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के सचिव (जल संसाधन विभाग) / अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डालटेनगंज / अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर / अधीक्षण अभियंता, कदवन बॉंध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर / अधीक्षण अभियंता, जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन / संयुक्त सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची / संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची / मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची / वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

18.3.13

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD F\Dy.Sec. New\DRAFT 2013\Adass 04-03-13.doc